

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 37/2020

निर्णय दिनांक 26.06.2020

1. बगदु उर्फ बगदीराम पिता काशीराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. शकरलाल पिता काशीराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

प्रार्थी

// वनाम //

1. सावरिया पिता प्रगुलाल जी जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. गोपाल पिता नन्दजी जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. उदयलाल पिता घासीजी जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. मैना पिता घासी जी जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. कमली पत्नी घासी जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
6. मोडीराम पिता उंकार लाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़।

-विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट
आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 115 की आराजी नं0 516 रकबा 0.0400 हेक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 115 की आराजी नं0 516 रकबा 0.0400 हेक्टेयरकी किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये वगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की

आज्ञा दिनांक 26.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा



Scanned with Cam

